

फॉर्म एल-15-ऋण अनुसूची
ऋण
(राशि रुपये करोड़ में)

	विवरण	30 सितम्बर, 2025 तक	30 सितम्बर, 2024 तक
1	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण		
	सुरक्षित:		
	(a) संपत्ति के बंधक रखने पर:		
	(aa) भारत में	5,401.53	6,868.67
	(bb) भारत के बाहर	9.98	9.74
	(b) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर	-	-
	(c) पॉलिसियों पर ऋण	1,29,645.78	1,22,418.78
	(d) अन्य :		
	(aa) सरकार द्वारा गारंटीकृत	764.64	1,139.98
	(bb) दृष्टिबंधक	74.61	469.58
	अनारक्षित ऋण	960.96	972.17
	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	(6,585.54)	(7,813.53)
	कुल	1,30,271.96	1,24,065.39
2	उधारकर्ता-वार वर्गीकरण		
	(a) केंद्र और राज्य सरकारें	470.96	677.09
	(b) बैंक और वित्तीय संस्थान	-	-
	(c) सहायक	-	-
	(d) कंपनियाँ	4,392.50	6,221.50
	(e) पॉलिसियों पर ऋण	1,29,645.78	1,22,418.78
	(f) अन्य :		
	बंधक संपत्ति	232.09	254.18
	नगरपालिकाएं	1.32	1.62
	राज्य बिजली बोर्ड / ऊर्जा उत्पादक	199.84	318.55
	राज्य सड़क परिवहन निगम	-	6.16
	सहकारी औद्योगिक सम्यंदा	5.40	5.40
	सहकारी आवास समितियाँ	58.91	69.78
	सिंचाई क्षेत्र	-	-
	डब्ल्यूएसबी, एसएफसी, पीटीआर, ओटीएच, एलडीबी आदि	1,850.70	1,905.85
	व्यक्तिगत सुरक्षा पर ऋण	-	0.01
	(g) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(6,585.54)	(7,813.53)
	कुल	1,30,271.96	1,24,065.39
3	निष्पादन-वार वर्गीकरण		
	(a) वर्गीकृत मानक ऋण		
	(aa) भारत में	1,30,607.05	1,24,384.17
	(bb) भारत के बाहर	204.57	189.29
	मानक ऋणों के लिए प्रावधान	(543.60)	(514.26)
	(b) गैर-मानक ऋण		
	(aa) भारत में	6,037.40	7,297.17
	(bb) भारत के बाहर	8.48	8.29
	गैर-मानक ऋणों के लिए प्रावधान	(6,041.94)	(7,299.27)
	कुल	1,30,271.96	1,24,065.39
4	परिपक्वता-वार वर्गीकरण		
	(a) अल्पावधि	4,664.74	11,354.54
	अल्पावधि के लिए प्रावधान	(4,586.23)	(4,905.00)
	(b) दीर्घावधि	1,32,192.76	1,20,524.38
	दीर्घावधि के लिए प्रावधान	(1,999.31)	(2,908.53)
	कुल	1,30,271.96	1,24,065.39

गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान			(रु. करोड़)
गैर - निष्पादित ऋण	ऋण राशि	प्रावधान	
उप - मानक	10.52	7.01	
संदिग्ध	7.58	7.15	
हानि	6,027.78	6,027.78	
कुल	6,045.88	6,041.94	

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।